



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462 ]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 9, 2002/आश्विन 17, 1924

No. 462 ]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2002/ASVINA 17, 1924

पोत परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2002

सा.का.नि. 688(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दीपस्तंभ और दीपपोत विभाग (समूह 'क' राजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में समूह 'क' राजपत्रित तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह 'क' राजपत्रित तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या; वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहंता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के अधिसूचना व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1	1*	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसूचितीय	18400-500- 22400 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
* (2002) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।						
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	8	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	9	परिबीभा की अवधि यदि कोई हो		
लागू नहीं होता			10			लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या  
प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन  
द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे  
जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे  
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

11

12

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर  
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न/अंतर्गत  
अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति :- 14300-18300 रुपये के वेतनमान में ऐसा उपमहानिदेशक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा उपमहानिदेशक जिसने उपमहानिदेशक और निदेशक के रूप में 8वर्ष नियमित सम्मिलित सेवा की है जिसमें से कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा उपमहानिदेशक के रूप में की है और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यात्रिका/दूरसंचार/इलैक्ट्रॉनिकी और संचार/इलैक्ट्रॉनिकी या विद्युत इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।

टिप्पणी :

जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरा कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :।

केंद्रीय/राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों/पल्लन न्यास/लोक क्षेत्र उपक्रमों के ऐसे अधिकारी (क) (1) जो मूल काइर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हैं या

(11)

जिन्होंने मूल काइर/विभाग में 14300-18300 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की है और

- 4 -

12

(ख) जिसके पास निम्नलिखित यथाउपदर्शित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

आवश्यक :-

- (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/दूरसंचार/इलैक्ट्रॉनिकी/इलैक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।
- (II) किसी इंजीनियरी संगठन में समुद्री नौपरिवहन की सहायता के क्षेत्र में पर्यवेक्षीय स्थिति में 20 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव जिसके अंतर्गत डाक बन्दरगाह और अन्य संरचनात्मक कार्य जिससे जलमनन प्रतिष्ठान हो जो सिविल यांत्रिक और इलैक्ट्रॉनिकी/इलैक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी को लागू हो ।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

13

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ

लोकसेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

- 1 अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष
- 2 सचिव, भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय- सदस्य
- 3 अपर सचिव, भारत सरकार पोत परिवहन मंत्रालय- सदस्य

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के समय

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- 6 -

1	2	3	4	5	6	7
2	उपमहानिदेशक	3*	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह के राजपत्रित, अननुसचिवीय	14300-400-18300 रुपये	चयन	लागू नहीं होता लागू नहीं होता

\* (2002) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

8

लागू नहीं होता

9

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

10

11

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

12

प्रोन्नति :- 12000-16500 रुपये के वेतनमान में ऐसा निदेशक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर निदेशक और उपनिदेशक (10000-15200 रुपये के वेतनमान में) की श्रेणियों में 10 वर्ष नियमित सम्मिलित सेवा की हो जिसमें से कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा निदेशक की श्रेणी में हो और जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल /यांत्रिक /दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिकी और संचार /इलेक्ट्रॉनिकी या विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य है।

टिप्पणी :

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केंद्रीय /राज्य /संघराज्य क्षेत्र सरकारों /पत्तन न्यास/ लोक क्षेत्र

उपक्रमों के ऐसे अधिकारी (क)। जो मूल काइर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हैं या

॥ जिन्होंने मूल काइर/विभाग में 12000-16500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में नियुक्त के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की है और

ख जिसके पास निम्नलिखित यथाउपदर्शित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-  
आवश्यक :-

11

12

- I किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/दूरसंचार/इलैक्ट्रॉनिकी/इलैक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।
- II किसी इंजीनियरी संगठन में समुद्री नौपरिवहन को सहायता के क्षेत्र में पर्यवेक्षीय स्थिति में 15 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव जिसके अंतर्गत डाक, बंदरगाह और अन्य संरचनात्मक कार्य जिसमें जलमग्न प्रतिष्ठान हो जो सिविल यांत्रिक और इलैक्ट्रॉनिकी/इलैक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी को लागू हो।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

- 1 अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग
- 2 संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय
- 3 महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के समय  
-अध्यक्ष  
- सदस्य  
- सदस्य  
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
3	निदेशक प्रादेशिक-7 सिविल-1 इलैक्ट्रोनिकी-1	9* साधारण केन्द्रीय सेवा समूह के राजपत्रित, अनुसूचिकीय	12000-375- 16500 रुपये	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं	नहीं

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आवेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय )

टिप्पणी :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लडाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

\* (2002) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।



8

9

10

प्रवर्ग: प्रादेशिक

आवश्यक:- (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिकी दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य

आयु: नहीं

आवश्यक शैक्षिक अर्हता: हाँ

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

(II) किसी इंजीनियरी संगठन में पर्यवेक्षीय स्थिति में 10 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :- साधारण प्रशासन रखरखाव और प्रकाशगृह और अन्य समुद्रीय नौपरिवहन में अन्य सहायता में अनुभव।

प्रवर्ग- सिविल

आवश्यक :- (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।

(II) डाक बन्दरगाह और अन्य संरचनात्मक कार्य साथ ही प्रतिष्ठानों में पर्यवेक्षीय स्थिति में दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय :- साधारण प्रशासन, रखरखाव और प्रकाशगृह और अन्य समुद्रीय नौपरिवहन में अन्य सहायकता में अनुभव।

प्रवर्ग : इलैक्ट्रॉनिकी

आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दूरसंचार/इलैक्ट्रॉनिकी और संचार/इलैक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।

(11) रेडियो पारिषण और ग्रहण केंद्रों के डिजायन, प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण जिसके अंतर्गत एरियल पद्धति भी है और इलैक्ट्रॉनिकी उपकरणों में प्रतिष्ठापन अनुरक्षण का दस वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :- साधारण प्रशासन स्तर रेडियो दूरभाष और रेडियो उपकरणों का अनुरक्षण में अनुभव ।

टिप्पणी : (1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पणी :- (2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोकसेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमे अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :- 10000-15000 रुपये के वेतनमान मे ऐसा उपनिदेशक जिसने उस श्रेणी मे पांच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा उपनिदेशक जिसने उपनिदेशक और सहायक कार्यकारी इंजीनियर (वेतनमान 8000-13500 रुपये) की श्रेणी मे दस वर्ष की सम्मिलित सेवा की है जिसमें से उपनिदेशक के रूप में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पणी:

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी मे प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति :-।

- केन्द्रीय सरकार /राज्य /संघराज्य क्षेत्र सरकारो /पत्तन न्यास/ लोक सैक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी(क)
- । जो मूल काडर/विभाग मे नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किये हुए हैं या
- ॥ जिन्होंने मूल काडर/विभाग मे 10000-15000 रुपये के या समतुल्य वेतनमान मे उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की है और
- ख जिसके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

12

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की आवश्यकता है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

14

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए)

- 1 अध्यक्ष /सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष
- 2 संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय - सदस्य
- 3 महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - सदस्य

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

- पर नियुक्ति के समय  
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श  
करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
4.	उपनिदेशक प्रादेशिक-7 सिविल-1 इलेक्ट्रॉनिकी-4	12* साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसर्चिवीय	10000-325- 15200 रुपये	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं	नहीं

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय )

टिप्पणी :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लडाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

\* (20८८) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन

किया जा सकता है ।

8

9

10

प्रवर्ग: क्षेत्रीय

आवश्यक:- (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/इलेक्ट्रॉनिकी/दूर संचार/इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष

आयु: नहीं

आवश्यक अर्हता: हों

का अनुभव

(II) सक्रिय और अनुरक्षण जिसमे डिजाइन और परियोजना

नौपरिवहन को सहायता का निष्पादन है के क्षेत्र में पर्यवेक्षीय स्थिति मे पांच वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :- प्रकाशगृह के साधारण प्रशासन, अनुरक्षण और सक्रियाँ और समुद्री नौपरिवहन को अन्य सहायता में अनुभव ।

प्रवर्ग- सिविल

आवश्यक : (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।

(II) प्रचलित सीमेंट कंक्रीट कार्य और संरचना के निर्माण और डिजाइन, अनुरक्षण मे पांच वर्ष का पर्यवेक्षीय हैसियत में अनुभव ।

वांछनीय :- प्रकाशगृह के साधारण प्रशासन, रखरखाव और संक्रीया और समुद्री नौपरिवहन मे अन्य सहायता में अनुभव ।

प्रवर्ग : इलैक्ट्रॉनिकी

आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दूरसंचार/इलैक्ट्रॉनिकी/इलैक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।

(11) बेतार क्षेत्र जिसमें प्रतिष्ठापन और बेतार पारेषण और गृहण और स्वचालित प्रसारण पद्धति, उत्पादन प्रदाय और शक्ति का पारेषण जिसमें शक्ति केन्द्रों के प्रतिष्ठापन का अनुभव भी है, में पर्यवेक्षीय स्थिति में पांच वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :- प्रकाशगृह के साधारण प्रशासन, अनुरक्षण और संकिया और समुद्री नौपरिवहन की अन्य सहायता में अनुभव ।

टिप्पणी : (1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पणी :- (2) अनुभव संबंधी आर्हता (अर्हताएं) संघ लोकसेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है हैं जब चयन के किसी प्रकम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

12

प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :- 8000-13500 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक कार्यपालक इंजीनियर जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :-

इन पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख पर 6500-10500 रुपये वेतनमान में सहायक इंजीनियर के विद्यमान पदधारी जिन्होंने 8 वर्ष नियमित सेवा की है, प्रोन्नति के लिए अर्हता को बनाए रखेंगे परन्तु वे सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं।

टिप्पणी:

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आघे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केन्द्रीय सरकारों/राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र सरकारों/पत्तन

न्यास/लोक सैंक्टर उपक्रमों के ऐसे अधिकारी (क) (1) जो मूल काइर/विभाग में नियमित आधार पर सृश्य पद धारण किये हुए हैं या

11 जिन्होंने 8000-13500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा कर ली है और



12.

ख जिसके पास सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है। साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति

- |   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| 1 | अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | - अध्यक्ष |
| 2 | महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत    | - सदस्य   |
| 3 | उपमहानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत  | - सदस्य   |

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श  
करना आवश्यक है

टिप्पण :

ज्येष्ठतम उपमहानिदेशक सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के लिए जब कोई

समूह 'ख' अधिकारी विचार और पुष्टि के क्षेत्र में न हो।

- |   |                                 |         |
|---|---------------------------------|---------|
| 1 | महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत   | अध्यक्ष |
| 2 | उपमहानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत | सदस्य   |
| 3 | निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत      | सदस्य   |

टिप्पण :

ज्येष्ठतम उपमहानिदेशक और विद्या का, जिसके अपनिदेशक का पद संबंधित है का ज्येष्ठतम निदेशक सदस्य के रूप में कार्य करेगा।

1	2	3	4	5	6	7
5.	सहायक कार्यपालक इंजीनियर इलैक्ट्रोनिकी-16 सिविल-06 यांत्रिक-02	24* साधारण केंद्रीय सेवा समूह के राजपत्रित, अ ननुसचिवीय	8000-275- 13500 रुपये	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं	नहीं

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय )

टिप्पणी :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लडाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

\* (2002) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

8

9

10

प्रवर्ग इलैक्ट्रोनिकी :

आवश्यक:- (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से

दूरसंचार/ इलैक्ट्रोनिकी इंजीनियरी/इलैक्ट्रोनिकी और संचार  
इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य

आयु: नहीं

आवश्यक शैक्षिक अर्हता : हों

एक वर्ष

- (II) नौपरिवहन में सहायता रेडियो के क्षेत्र में पर्यवेक्षीय हैसियत में दो वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :- प्रकाश की छोटी मोटरों और तार लगाने में अनुभव सहित  
विद्युत उत्पादन प्रदाय और पारेषण का दो वर्ष का अनुभव ।

प्रवर्ग- सिविल

आवश्यक :- (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री

- (II) प्रचलित सीमेन्ट कंक्रीट कार्य और संरचना निर्माण और डिजाइन अनुरक्षण  
पर्यवेक्षीय हैसियत में दो वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :- समुद्री नौपरिवहन को अन्य सहायता और प्रकाश स्तंभों के साधारण प्रशासन,  
और प्रकिया का अनुभव ।

प्रवर्ग : यात्रिक

आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यात्रिक इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य । और

(11) अंतर दहन इंजनों, जनित्रों, मोटर और अन्य विद्युत मशीनरी के प्रतिष्ठापन

और अनुरक्षण का पर्यवेक्षीय हैसियत के दो वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :- यात्रिक कार्यशाला में दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी : (1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पणी :- (2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोकसेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित सक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

11

12

90.00 % सीधी भर्ती

10.00 % प्रोन्नति

प्रोन्नति :- 6500-10500 रुपये के वेतनमान में ऐसा सहायक इंजीनियर जिसके पास संबंधित विद्या में इंजीनियरी डिग्री है और उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पणी:

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13

14

प्रोन्नति के लिए समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति

1. अध्यक्ष /सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष
2. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - सदस्य
3. उपमहानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - सदस्य

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श  
करना आवश्यक है

समूह क विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए )

1. महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - अध्यक्ष
2. उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत - सदस्य

[ फा. सं. एलएच-13012/1/2001-एसएल ]

एम. रामचंद्रन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING**  
(Shipping Wing)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2002

**G.S.R. 688.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Lighthouse and Lightships (Group 'A' Gazetted Technical Posts) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 'A' Gazetted Technical Posts in the Directorate General of Lighthouses and Lightships namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group 'A' Gazetted, Technical Posts) Recruitment Rules, 2002.  
(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, Classification and Scales of Pay.**— The number of the said posts, their classifications and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.
4. **Disqualifications.**— No person, — (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
I. Director General	1* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	18400-5000-22400	Selection	Not applicable
Whether benefit of added years of Service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	
7	8	9	10	11	
Not Applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation including short term contract.	



In case of Recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
<p><b>Promotion :</b> Deputy Director General in the pay scale of Rs. 14300-18300 with three years regular service in the grade failing which Deputy Director General with 8 years combined regular service as Deputy Director General and Director out of which minimum two years regular service as Deputy Director General and possessing Degree in Civil/Mechanical/Telecom/Electronics and Communication/Electronics or Electrical Engineering from a recognised University or equivalent.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman</li> <li>2. Secretary to the Government of India, Ministry of — Member Shipping</li> <li>3. Additional Secretary to the Government of India, Ministry of — Member Shipping</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).</p>
<p><b>Note :—</b>Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>		
<p><b>Deputation (ISTC)</b> Officers under the Central/State/UT Government/Port Trusts/Public Sector Undertakings :—</p>		
<p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience as indicated below :—</p>		
<p><b>Essential :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Degree in Civil/Mechanical/Telecommunication/Electronics/Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent.</li> <li>(ii) 20 years' practical experience in supervisory positions in an engineering organisation in the field</li> </ol>		

12

13

14

of "Aid to Marine Navigation" including experience in Docks, Harbours and other structural work with submerged foundations, as applicable to Civil/Mechanical/Electronics/Electronics and Communication Engineering.

**Note :**

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 5 years the maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

1	2	3	4	5	6
2. Deputy Director General	*3 (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	14,300-400-18,300	Selection	Not applicable
7	8	9	10	11	
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Promotion failing which by Deputation including Short Term Contract.	
12	13	14			

**Promotion :**

Director in the Pay Scale of Rs. 12,000—16,500 with five years regular service in the grade failing which 10 years combined regular service in the grade of Director and Deputy Director (in the pay scale of Rs. 10,000-15,200) out of which minimum three years regular service in the grade of Director and possessing Degree in Civil/Mechanical/Telecom/Electronics and Communication/Electronics or Electrical Engineering from a recognised University or equivalent.

- Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion)
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman
  2. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping—Member
  3. Director General of Lighthouses and Lightships—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC)

Note :—Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would

also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

#### Deputation (ISTC)

Officers under the Central/State/UT Government/Port Trusts/Public Sector Undertakings :—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department:  
or  
(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500 or equivalent in the parent cadre/department; and  
(b) Possessing the educational qualifications and experience as indicated below :—

#### Essential :

- (i) Degree in Civil/Mechanical/Telecommunication/Electronics/Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent.  
(ii) 15 years' practical experience in supervisory positions in an engineering organisation in the field of "Aid to Marine Navigation" including experience in Docks, Harbours and other structural work with submerged foundations, as applicable to Civil/Mechanical/Electronics/Electronics and Communication Engineering.

#### Note :

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 4 years the maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

1	2	3	4	5	6
3. Director Regional-7 Civil-1 Electronics-1	*9 (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	12000-375- 16500	Selection	Not exceeding 50 years. <b>Note:</b> Relaxable for Govern- ment servants upto 5 years in accordance with the in- structions or orders issued by the Central Government. <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
7	8	9	10	11	
No	<p><b>Category Regional :</b> <b>Essential :</b> (i) Degree in Civil/Mechanical/ Electronics/Telecommunication/ Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years experience in su- pervisory positions in an engi- neering organisation. <b>Desirable :</b> Experience in general adminis- tration, maintenance and opera- tion of lighthouses and other aids to marine navigation</p> <p><b>Category Civil :</b> <b>Essential :</b> (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Ten years experience in su- pervisory positions in Docks, Harbour and other structural work with submerged founda- tions. <b>Desirable :</b> Experience in general adminis- tration, maintenance and opera-</p>	Age : No EQS : Yes	One year for direct recruits	Promotion failing which by deputation (ISTC) failing both by direct recruitment.	

tion of lighthouses and other aids to marine navigation.

**Category Electronics :**

**Essential**

(i) Degree in Telecommunications/Electronics and Communication/Electronics Engineering from a recognised University or equivalent.

(ii) Ten years experience in supervisory position in design, installation and maintenance of Radio Transmitting and receiving stations including aerial system and its installation, maintenance of Electronics equipment.

**Desirable :**

Experience in general administration, maintenance of radar, radio telephone and radio equipments.

**Note : 1**

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :**

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

12	13	14
<p><b>Promotion :</b> Deputy Director in the Pay Scale of Rs. 10000-15200 with five years regular service in the grade failing which Deputy Directors with ten years combined regular service in the grades of Deputy Director and Assistant Executive Engineer (pay scale of Rs. 8000-13500) out of which three years regular service as Deputy Director.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman</li> <li>2. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Shipping—Member</li> <li>3. Director General of Lighthouses and Lightships —Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation (ISTC)</p>

**Note :—** Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Deputation (ISTC) :**

Officers under the Central/State/UT Government/Port Trusts/Public Sector Undertakings:—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or  
 (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre/department; and  
 (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under col. 8.

**Note :**

The department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

1	2	3	4	5	6
4. Deputy Director Regional-7 Civil-1 Electronics-4	*12 (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	10000-325- 15200	Selection	Not exceeding 40 years. Note 1: Relaxable for Govern- ment servants upto 5 years in accordance with the in- structions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for

6

determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

7	8	9	10	11
No	<p><b>Category Regional :</b>  <b>Essential :</b>            (i) Degree in Civil/Mechanical/ Electronics/Telecommunications/ Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent.            (ii) Five years experience in supervisory positions in the field of construction, operation and maintenance including design and execution of aids to navigation related project.  <b>Desirable :</b>            Experience in general administration, maintenance and operation of lighthouses and other aids to marine navigation  <b>Category Civil :</b>  <b>Essential :</b>            (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent.            (ii) Five years experience in a supervisory capacity in design, maintenance and construction of structural and reinforced cement concrete works.  <b>Desirable :</b>            Experience in general administration, maintenance and operation of lighthouses and other aids to marine navigation.  <b>Category Electronics :</b>  <b>Essential</b>            (i) Degree in Telecommunica-</p>	<p>Age: No            EQS: Yes</p>	<p>One year for direct recruits &amp; promotees</p>	<p>Promotion failing which by deputation (ISTC) failing both by direct recruitment.</p>

tion/Electronics/Electronics and Communication Engineering from a recognised University or equivalent.

(ii) five years experience in supervisory position in wireless field, including installation and maintenance of wireless transmitters receivers and automatic relay system, generation, supply and transmission of power including experience in installation of power plants.

**Desirable :**

Experience in general administration, maintenance and operation of lighthouses and other aids to marine navigation

**Note 1 :**

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :**

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

12

13

14

**Promotion :**

Assistant Executive Engineer in the pay scale of Rs. 8000-13500 with five years regular service in the grade.

**Note :—**The existing incumbents of Assistant Engineer in the pay scale of Rs. 6500-10500 on the date of notification of these revised rules with eight years regular service shall continue to be eligible for promotion provided they

**Group 'A' Departmental Promotion Committee for promotion :**

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman
2. Director General of Lighthouses and Lightships—Member
3. Deputy Director General of Lighthouses and Lightships—Member.

**Note :—**The Senior-most Deputy Director

Consultation with Union Public Service Commission necessary.



possess the educational qualifications prescribed for direct recruits in col. 8

**Note :—**Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Deputation (ISTC) :**

Officers under the Central/State Governments/ Union Territories/Port Trusts/Public Sector Undertakings :—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under col. 8.

**Note :**

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

General will act as Member.

**Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion when no Group 'B' officer in the zone of consideration/ and for confirmation) :**

1. Director General of Lighthouses and Lightships—Chairman.
2. Deputy Director General of Lighthouses and Lightships—Member
3. Director, Directorate General of Lighthouses and Lightships—Member.

**Note :—**The Senior-most Deputy Director General and the Senior-most Director of the discipline, to which the post of Deputy Director belongs will act as Member.

1	2	3	4	5	6
5. Assistant Executive Engineer Electronics-16 Civil-6 Mechanical-2	24* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	8000-275-13500	Selection	Not exceeding 35 years. <b>Note:—</b> Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued

by the Central Government.  
**Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10	11
No	<p><b>Category Electronics :</b>  <b>Essential :</b>            (i) Degree in Telecommunications/ Electronics Engineering/ electronics and Communications Engineering from a recognised University or equivalent.            (ii) Two years experience in supervisory capacity in the field of radio aids to navigation.  <b>Desirable :</b>            Two years experience in generation, supply and transmission of power with experience in lighting small motors and wiring.</p> <p><b>Category Civil :</b>  <b>Essential :</b>            (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent.            (ii) Two years experience in a supervisory capacity in design, maintenance and construction of structural and reinforced concrete works.  <b>Desirable :</b>            Experience in general administration, maintenance and operation of lighthouses and other aids to marine navigation.</p> <p><b>Category Mechanical :</b>  <b>Essential :</b>            (i) Degree in Mechanical Engi-</p>	Age : No Eqs. : Yes	One year	90% Direct Recruitment 10 % Promotion.

neering from a recognised University or equivalent.

(ii) Two years experience in supervisory capacity in installation and maintenance of internal combustion engines, generators, motor and other electrical machinery.

**Desirable :**

Two years experience in a Mechanical workshop.

**Note 1 :**

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :**

The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

12	13	14
<p><b>Promotion :</b> Assistant Engineer in the pay scale Rs. 6500-10500 possessing degree in Engineering in the respective Discipline with five years regular service in the grade. <b>Note :—</b>Where juniors, who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for promotion :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman</li> <li>2. Director General of Lighthouses and Lightships—Member</li> <li>3. Deputy Director General of Lighthouses and Lightships—Member.</li> </ol> <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for confirmation) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director General of Lighthouses and Lightships—Chairman.</li> <li>2. Deputy Director General of Lighthouses and Lightships—Member</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary</p>

[File No. LH-13012/1/2001-SL]

M. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.